न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 30/2023 GCMS No.—2023/108

अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र श्री दीपचन्द शर्मा पुत्र स्व. धन्नालाल शर्मा आयु लगभग 21 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गोकुलपुरा (बैरिया) कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. जयपुर नगर निगम ग्रेटर पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, स्टेडियम के पास, टोंक रोड, जयपुर जरिये आयुक्त।
2. नगर निगम ग्रेटर, झोटवाडा, खिरणी फाटक रोड, जयपुर जरिये उपायुक्त।
3. सीता देवी पत्नी स्व. श्री लालचन्द शर्मा निवासी ग्राम गोकुलपुरा (बैरिया) कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।
4. दीपचन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री धन्नालाल शर्मा आयु लगभग 47 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी (बैरिया) कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।
5. तहसीलदार महोदय तहसील जयपुर जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत विरूद्ध भूमि विकय विलेख (पट्टा) जारी ग्राम पंचायत मीनावाला पंचायत समिति झोटवाडा, जिला जयपुर के मिसल संख्या 73 तारीख दायर 05.12.1988 पट्टा संख्या 4 जारी दिनांक 05.07.1989 निगरानीकार के दादा एवं गैर निगरानीकार संख्या 3 के ससुर व गैर निगरानीकार के पिता स्व. धन्नालाल पुत्र भौरीलाल के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री के.आर.शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।

निर्णय दिनांकः 29.10.2024

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत मीनावाला, पंचायत समिति झोटवाडा के मिसल संख्या 73 दिनांक 05.12.1988 की पालना में निर्णय/आदेश दिनांक 05.07.1989 से गैर निगरानीकार संख्या 3 के ससुर एवं गैर निगरानीकार के पिता स्व. धन्नालाल पुत्र भौरीलाल के पक्ष में पट्टा संख्या 4 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.12.2023 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। विपक्षी संख्या 4 व 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। गैर निगरानीकार संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। उपायुक्त नगर निगम झोटवाडा नगर निगम जयपुर ग्रेटर से मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो शामिल मिसल की गयी।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत मीनावाला द्वारा जारी किया गया पट्टा आबादी भूमि में नहीं होकर कृषि भूमि में से जारी किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली में संलग्न राजस्व नक्शा खसरा नंबर 17 से उत्तर की तरफ खसरा नंबर 18 स्थित है जिसकी खातेदारी भींवा पुत्र आनन्दीलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं पूर्व की ओर खसरा नंबर 20 स्थित है जो नाथ्या पुत्र रामदेव की कृषि भूमि है तथा दक्षिण दिशा की ओर खसरा नंबर 8 स्थित है, जो हुक्मा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं पश्चित दिशा में खसरा नंबर 5 स्थित है जो प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि है। इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की सीमाओं के अवलोकन से भी पट्टे की भूमि कृषि भूमि होना जाहिर होती है। आक्षेपित पट्टे की मिसल संख्या 73 पर ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 167(2) के तहत पट्टे पर ग्राम सचिव के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। पंचायत की पट्टा पत्रावली में पंचो की नियुक्ति बाबत भी कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है और ना ही मौका निरीक्षण नियमों के अनुसार हुआ है। ना ही पंचायत पत्रावली में खसरा का उल्लेख किया गया है। इसी आधार पर पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टे जारी करने से पूर्व पत्रावली में कहीं भी लैण्ड होल्डर तहसीलदार से भूमि बाबत कोई रिपोर्ट नहीं ली गयी है एवं कृषि भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत मीनावाला के आदेश दिनांक 05.07.1989 द्वारा स्व. धन्नालाल पुत्र भौरीलाल के हक जारी पट्टा संख्या 4 को निरस्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत मीनावाला द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 3 व 4 के पूर्वज स्व0 धन्नालाल के पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र पर आगे कार्यवाही करते हुए वार्ड पंचगण की कमेटी को मौका निरीक्षण हेतु को आदेशित किया, जिसके पश्चात दिनांक 14.12.1988 को तीन वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट पर तीनों वार्ड पंचो के हस्ताक्षर है। तद्नुसार ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के विक्रय के संबंध में आपत्तिया मांगने हेतु आपत्ति नोटिस जारी किया गया। दिनांक 07.03.1989 को ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आपत्ति नहीं आने पर स्व. धन्नालाल पुत्र भौरीलाल के हक में पंचायत राज अधिनियम 1961 के नियम 266 के तहत 350 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया। विचाराधीन निगरानी में स्व.धन्नालाल द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपने पुख्ता मकान का पट्टा लेने हेतु आवेदन किया है। निगरानीकार द्वारा निगरानी में निगरानीधीन पट्टा कृषि भूमि में जारी किया जाना जाहिर किया है किन्तु

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

निगरानीकार द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज/रिपोर्ट यथा पटवारी हल्का रिपोर्ट, सीमा ज्ञान रिपोर्ट आदि न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गयी है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में निहित प्रावधान अनुसार किसी भी पंचायती राज संस्था के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध किसी भी हितबद्व व्यक्ति के आवेदन किये जाने पर श्रवण क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त है। निगरानीकार ने अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया कि जिससे ये जाहिर हो कि निगरानीकार निगरानीधीन पट्टे की भूमि से किस प्रकार से संबंध/सरोकार रखते है एवं निगरानीधीन पट्टे की भूमि से किसी प्रकार हितबद्व है। इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर